

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-111/2017/4005/दो-2-2017-28/2(7)/2017**  
**लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2017**  
**आदेश**

श्री जनार्दन, से0नि0 पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-69833 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री जनार्दन, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-54/13978-42812 दिनांक 31-07-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-27,76,207/- (रू0-सत्ताईस लाख छिहत्तर हजार दो सौ सात मात्र) जिस पर माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-24,98,586/- (रू0-चौबीस लाख अटठानबे हजार पाँच सौ छियासी मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री जनार्दन के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**धनन्जय शुक्ल**  
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री जनार्दन, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर।
- 4- श्री जनार्दन, से0नि0 पी0सी0एस0 द्वारा श्री विजय शंकर बरनवाल, मैसर्स एस0एस0 टेडर्स संगी रोड, मीरजापुर-231001

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।